बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 10 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 13.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.50 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बिहार के मुख्य सचिव को अभियुक्त बनाने के लिए रांची विशेष सी.बी.आई कोर्ट से सम्मन जारी किये जाने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के 104(6) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी को छोड़कर राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में पोस्टर लहराते हुए आकर नारेबाजी करने लगे। आसन के अनुरोध पर कुछ समय के बाद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 82, 83, 84, 86 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 85 स्थगित हुआ।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 203 से 208 तक अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 195 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि स्पेसिफिक उसको देख लीजिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 198 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया है कि जो एजेन्सी काम करेगी, उसी को मेंटेनेंस दिया जाएगा, बाकी समस्या का समाधान माननीय मंत्री करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 201 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, मेरी भी बात सुन ली जाय कि जो जेनरिक दवा जिला अस्पताल में है, उसको स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है या दुकानदार जानबूझकर इग्नोर करते हैं। रात में दवा की दुकानें बंद हो जाती हैं । जिला अस्पताल के अंदर मैंने खुद जा के देखा है कि रात में जब दवा लिखी जाती है तो मरीज परेशान हो जाते हैं चूंकि रात में बाहर में भी दुकानें बंद हो जाती हैं तो सरकार ऐसी पॉलिसी तय करना चाहती है कि रात में भी खुले, शिफ्टवाइज खुले, दिन-रात 24 घंटे दवाइयां मुहैया हों। चूंकि सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है, तब वह दवा की दुकान हॉस्पिटल कैम्पस में खुले, यह सुविधा भी लोगों को मिलनी चाहिए । मैंने लिखकर भी विभाग को दिया है। इसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि मैंने कहा है कि आपने जो प्रश्न किया है, वह सही है, विभाग जरूर विचार करेगा और इस प्रकार की उचित व्यवस्था करेगा ताकि मरीजों को हर संभव दवा उपलब्ध हो सके।

3. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत निर्गत नियमावली एवं अधिसूचना की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय
3. डा. वीरेन्द्र नारायण यादव
4. श्री राधाचरण साह
5. श्री सुबोध कुमार

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, सरकार को दे दीजिए।

5. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा कैंसर रोग की रोकथाम के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नंद किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, सर्वश्री दिलीप कुमार चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, तनवीर अख्तर, रामचन्द्र भारती द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय में दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह की मूर्ति स्थापित करनेके संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नंद किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, आपके बोलने से पहले माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई है। जिला स्तर पर प्रस्ताव भेजने की विभाग ने पहल की है और मैं भी माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण सवाल है। दाता ने बहुत बड़ी प्रोपर्टी दिया है, मूर्ति रखी हुई है और परिसर में पार्क भी है। जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई है। उनको फिर से स्मारित करते हुए कार्रवाई की जाय जाकि मूर्ति लग सके। इस दिशा में सरकार कार्रवाई करे।

(अंतराल)

3. माननीय सदस्य, सर्वश्री सुबोध कुमार, दिलीप राय, राजेश राम द्वारा गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत सेलारखुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नंद किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

6. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**

   (पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री सोनेलाल मेहता
2. डा. रणवीर नन्दन
3. श्री सुबोध कुमार
4. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
5. श्री लाल बाबू प्रसाद
6. श्री संजय प्रसाद
7. प्रो. संजय कुमार सिंह

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया -

1. श्री नंद किशोर यादव, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग (माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण की पुस्तिका सदन पटल पर रखा।)

(माननीय मंत्री के भाषण के बीच ही राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया।

7. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण)

2. श्री महेश्वर हजारी, माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग ने अपने बजट भाषण की पुस्तिका सदन पटल पर रखा।

3. श्री ब्रज किशोर बिन्द, माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अपने बजट भाषण की पुस्तिका सदन पटल पर रखा।

4. श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अपने बजट भाषण की पुस्तिका सदन पटल पर रखा ।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. डा. संजीव कुमार सिंह

3. श्री सतीश कुमार
4. श्री सोनेलाल मेहता
5. प्रो. नवल किशोर यादव
6. श्री सी.पी. सिन्हा
7. श्री राधाचरण साह
8. श्री हरिनारायण चौधरी

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 14.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

13/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 445 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 13.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
13-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।